

6. कृषि तथा सिंचाई के क्षेत्र में :-

- (क) द्वीपों में कृषि विकास के लिए योजना बनाना;
- (ख) भूमि तथा जल संसाधनों का उपयोग और आधुनिकतम अनुसंधानों के अनुसार परिष्कृत कृषि पद्धतियों का प्रचार;
- (ग) द्वीपों में सिंचाई कार्यों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (घ) द्वीपों में कृषि भूमि का सुधार और संरक्षण;
- (ङ) बीज प्रवर्धक कार्यों का अनुरक्षण, पंजीकृत बीज उत्पादकों को सहायता तथा द्वीपों में बीजों का वितरण;
- (च) फल तथा सब्जि उत्पादों को बढ़ाना ;
- (छ) खाद संसाधनों का संरक्षण, मिश्रित खाद, जैविक खाद तैयार करना और उसके आसानी से उपलब्धता का प्रबन्ध करना;
- (ज) परिष्कृत कृषि सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहन और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करना;
- (झ) फसलो, फलों, पेड़ों तथा पौधों को रोगों से बचाना;
- (ञ) सिंचाई तथा कृषि विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना;
- (ट) कुँए का निर्माण तथा मरम्मत कर, लघु सिंचाई कार्यों को हाथ में लेकर निजी तालाबों की खुदाई और मरम्मत तथा खेतों के नालों का पर्यवेक्षण कर सिंचाई के तहत भूमि के क्षेत्र को बढ़ाना;
- (ठ) सिंचाई स्कीमों के तहत उपलब्ध जल को समय पर उपलब्ध कराना और बराबर वितरण करना और उसका पूर्ण उपयोग करना ।

7. पशुपालन के क्षेत्र में :-

- (क) साँड़ों के द्वारा पशु नस्लों का सुधार;
- (ख) आवारा बैलों का बधियाकरण कर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना तथा अनुरक्षण;
- (ग) अनुदान देकर पशुओं, भेड़ों, पॉल्ट्रियों आदि के उन्नत प्रजनन की शुरुआत करना और लघु प्रजनन केन्द्रों का अनुरक्षण;